न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 17 / 2024

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**

लिछमणाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी लोलावा तहसील सिणधरी	1. जगमालराम पुत्र हुकमाराम 2. जालाराम पुत्र हुकमाराम 3. टीकूराम पुत्र सोनाराम 4 पूनमाराम पुत्र सोनाराम 5. भोमाराम पुत्र हुकमाराम 6. मनोहर कुमार पुत्र हुकमाराम 7. राजूदेवी पत्नि हुकमाराम समस्त जाति जाट, निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. तहसीलदार सिणधरी 9. मु. अनु पत्नि लाखा उर्फ लाखाराम 10. गुलाराम पुत्र लाखा उर्फ लाखाराम 11. चुतराराम पुत्र लाखा उर्फ लाखाराम समस्त जाति जाट निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 8 व 10 से 12।
3. विप्रार्थी सं. 09 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 30.07.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थी श्री भंवरलाल सारण द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का [illegible] रजिस्टर हो।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। [illegible] बहस प्रार्थी [illegible] तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण [illegible] है, कि मौजा लोलावा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 4.4252 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की तत्कालीन खातेदार काश्तकार हुकमसिंह वल्द भूरसिंह वगैरह जाति राजपूत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा खातेदारी / काश्तकारी की अराजीयात है जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा निहित है। प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित रकबे व वर्णित दिशा पर ही रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

विक्रय पत्र दिनांक से आज दिनांक तक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। जो ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की हाल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 व साबिक जमाबन्दीयो व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04. 1966 से स्वयं सिद्ध है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बहैसियत मालिक व स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम उक्त पंजीयकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.04. 1966 के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण से बतौर खातेदार दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रारम्भ में खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 109 बीघा 8 बिस्वा भूमि हुकमसिंह पुत्र भूरसिंह, जवाहरसिंह पुत्र भूरसिंह, बागसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/2 तथा किशोर सिंह पुत्र विजयसिंह हिस्सा 1/2 कौम राजपूत निवासी लोलावा द्वारा उक्त खसरा नम्बर 117 की सुविधा हेतु आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ था, खेत का पश्चिमी भाग का 1/2 हिस्सा हुकमसिंह, जवाहरसिंह, बागसिंह पुत्रगण भूरसिंह के स्वामित्व व कब्जे काश्त में था एवं शेष पूर्वी भाग का 1/2 हिस्सा सहखातेदार किशोरसिंह पुत्र विजयसिंह के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में था। तत्कालीन खातेदार किशोरसिंह पुत्र विजयसिंह ने साबिक खसरा नम्बर 117 में निहित अपने खातेदारी हिस्से 1/2 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा खेत के पूर्वी भाग का एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12. 1963 को प्रफोर्मा विप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 12 के पूर्वज लाखा उर्फ लाखाराम पुत्र करनाराम को बैचान कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्शित रकबा व हिस्सा अनुसार काबिज काश्त करवा दिया, लाखाराम अपने जीवन पर्यन्त उक्त रकबे पर पूर्व में लाखाराम काबिज काश्त रहा व लाखाराम के देहान्त के पश्चात् उसके वारिसान विप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 12 काबिज काश्त चले आ रहे है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा बार–बार अतिक्रमण व अतिचार करने का प्रयास किये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा अपनी क्रयशुदा आराजी पर थोर की बाड़ व तारबन्दी की हुई है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 प्रार्थी को निरन्तर रूप से धमकी दे रहे हैं कि वे प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी पर कब्जा कर उसे उक्त आराजी के उपयोग–उपभोग से वंचित कर देंगे तथा उसके द्वारा की हुई थोर की बाड़ व को जबरन एवं अविधिक रूप से हटा देंगे जिससे प्रार्थी को प्रबल आशंका हो गई है कि विप्रार्थीगण उक्त अविधिक कृत्य कारित कर प्रार्थी को उसकी क्रयशुदा आराजी महरूम कर देंगे समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ताफैसला दावा, अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 इस आशय की जारी फरमायें कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम लोलावा के खसरा संख्या 117 रकबा 4.4252 हैक्टेयर में प्रार्थी की क्रयशुदा खातेदार/काश्तकारी की आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल का नाजायज प्रयास करने, प्रार्थी के विधिक अधिकारों में तथा उपयोग–उपभोग में तथा काश्त करने में किसी प्रकार से दखल, व्यवधान करने, वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा लगाई गई थोर की बाड व तारबन्दी को हटाने व नष्ट करने का प्रयास करने से विप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 एवं उनके वारिसान, अटोरनीज, नौकर चाकर, ऐजेन्ट, रिश्[illegible]ीगण, मित्रगण, मुख्तयारआम, इकरारकर्तागण, इत्यादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की [illegible] प्रसारित की जाकर उन्हे पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु उनकी और जवाब पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी और से जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि मौजा लोलावा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 4.4252 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की तत्कालीन खातेदार काश्तकार हुकमसिंह वल्द भूरसिंह वगैरह जाति राजपूत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा खातेदारी/काश्तकारी की अराजीयात है जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा निहित है। प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णित रकबे व वर्णित दिशा पर ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक से आज दिनांक तक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। जो ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की हाल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 व साबिक जमाबन्दीयो व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04. 1966 से स्वयं सिद्ध है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बहैसियत मालिक व स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम उक्त पंजीयकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.04. 1966 के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण से बतौर खातेदार दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रारम्भ में खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 109 बीघा 8 बिस्वा भूमि हुकमसिंह पुत्र भूरसिंह, जवाहरसिंह पुत्र भूरसिंह, बागसिंह पुत्र भूरसिंह हिस्सा 1/2 तथा किशोर सिंह पुत्र विजयसिंह हिस्सा 1/2 कौम राजपूत निवासी लोलावा द्वारा उक्त खसरा नम्बर 117 की सुविधा हेतु आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ था, खेत का पश्चिमी भाग का 1/2 हिस्सा हुकमसिंह, जवाहरसिंह, बागसिंह पुत्रगण भूरसिंह के स्वामित्व व कब्जे काश्त में था एवं शेष पूर्वी भाग का 1/2 हिस्सा सहखातेदार किशोरसिंह पुत्र विजयसिंह के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में था। तत्कालीन खातेदार किशोरसिंह पुत्र विजयसिंह ने साबिक खसरा नम्बर 117 में निहित अपने खातेदारी हिस्से 1/2 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा खेत के पूर्वी भाग का एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12. 1963 को प्रफोर्मा विप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 12 के पूर्वज लाखा उर्फ लाखाराम पुत्र करनाराम को बैचान कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्शित रकबा व हिस्सा अनुसार काबिज काश्त करवा दिया, लाखाराम अपने जीवन पर्यन्त उक्त रकबे पर पूर्व में लाखाराम काबिज काश्त रहा व लाखाराम के देहान्त के पश्चात् उसके वारिसान विप्रार्थीगण संख्या 10 लगायत 12 काबिज काश्त चले आ रहे है।, यदि दौराने वाद मौका स्थिति में किसी प्रकार कब्जा यथा मौके की परिस्थितियों में को रद्दोबदल दौराने वाद होता है, तो प्रथम द्वष्यता प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना रहती है तथा पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है एंव वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहीत होने से जारी स्थगन को कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा लोलावा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 117 कुल रकबा 4.4252 हैक्टयर के प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं